क्रम-संख्या—35

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 मार्च, 2024

फाल्गुन 17, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 86 / 79-वि-1-2024-2-क-4-2024

लखनऊ, 7 मार्च, 2024

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2024) जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित हैं प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2024)

(भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और राज्य के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का, उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का उचित, व्यवस्थित तथा त्वरित विकास का समन्वय एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ स्थापना का उपबंध करने तथा ऐसे विकास हेतु योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों के निष्पादन करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए

अध्यादेश

किसी ऐसे क्षेत्र के विकास हेतु क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल का उचित, व्यवस्थित तथा त्वरित विकास का समन्वय एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन तथा ऐसे विकास हेतु योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों के निष्पादन और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपबंध करना लोकहित में समीचीन है;

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उन्हें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं।

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1–(1) यह अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सरकार द्वारा यथा अधिसूचित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों तक फैला होगा।

(3) यह उस दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएँ

2–जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अध्यादेश में :–

(क) 'कृषि' में बागवानी, मुर्गी पालन, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों, घास या किसी भी प्रकार के वृक्षों को उगाना, पशुधन जिसमें मवेशी, घोडे, गधे, खच्चर, सुअर सम्मिलित हैं, मत्स्य प्रजनन और मधुमक्खियों का पालन, मवेशियों को चराने के लिए भूमि का उपयोग या किसी भी प्रयोजन जो इसकी खेती में सहायक हो या अन्य कृषिक उद्देश्य के लिए, लेकिन इसमें भूमि का उपयोग एक बाग के रूप में जो एक भवन से संलग्न हो, सम्मिलित नहीं है और 'कृषि' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।

(ख) 'सुख–सुविधा' में सड़कें, पुल, संचार का कोई अन्य साधन, परिवहन, पानी और बिजली की आपूर्ति, ऊर्जा का कोई अन्य स्रोत, सड़क–प्रकाश, जल निकासी, मलजल निकासी तथा सफाई और कोई अन्य सुविधा सम्मिलित है जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनार्थ सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ग) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 4बी की उपधारा (1) के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण या क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण से है;

(घ) "समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन गठित कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;

(ङ) 'विकास' का तात्पर्य इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित किसी भूमि (नदी, झील या किसी अन्य जल के नीचे की भूमि सहित) में या उसके ऊपर या उसके नीचे निर्माण इंजीनियरिंग, खनन या अन्य क्रियायें, या भूमि निर्माण या किसी भवन या भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना उसके ऊपर या उसके नीचे और इसमें किसी भूमि का पुनर्विकास, लेआउट तथा उप प्रभाग सम्मिलित हैं और औद्योगिक, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, वानिकी, डेयरी विकास, मुर्गी पालन, खेती, सुअर पालन, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन और इसी तरह की अन्य गतिविधियों के विकास के लिए सुख सुविधाओं एवं परियोजनाओं और योजनाओं के उपबंध भी सम्मिलित हैं, से है और 'विकास के लिए' शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(च) 'विकास प्राधिकरण' का तात्पर्य–

(एक) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण से है;

(दो) उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986) की धारा 4 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण से है;

(तीन) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन विनियमन) अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) की धारा 4 के अधीन गठित किसी नियंत्रक प्राधिकरण से है;

(छ) 'विकास योजना' का तात्पर्य कार्यात्मक योजना या क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों को कार्यान्वित करने की योजना से है;

(ज) 'कार्यात्मक योजना' का तात्पर्य क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों को विस्तृत करने के लिए तैयार की गई योजना से है;

(झ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ञ) 'भूमि' में भूमि और भूबद्ध चीजों से या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े हुए चीज से उत्पन्न होने वाले लाभ सम्मिलित हैं;

(ट) 'स्थानीय प्राधिकरण' का तात्पर्य–

(एक) उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) के अधीन गठित किसी नगर निगम से है;

(दो) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) के अधीन गठित किसी नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत से है;

(तीन) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) के अधीन गठित किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से है; या

(चार) सरकार द्वारा किसी विधि के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण से है।

(ठ) 'मास्टर प्लान' का तात्पर्य है विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि के विकास के लिये, उनकी अधिकारिता के भीतर उनके संबंधित अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार की गई किसी मास्टर प्लान से है;

(ड) 'विहित' का तात्पर्य इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) 'परियोजना योजना' का तात्पर्य यथास्थिति क्षेत्रीय योजना, जिला योजना, कार्यात्मक योजना, मास्टर प्लान, विकास स्कीम के एक या अधिक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई एक विस्तृत योजना से है;

(ण) 'क्षेत्रीय योजना' का तात्पर्य इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन इस अध्यादेश में यथा परिभाषित क्षेत्र के विकास या पुनर्विकास के लिए या उसके किसी आंशिक भाग के लिए तैयार की गई योजना से है और इसमें उक्त क्षेत्र या उसके आंशिक भाग के लिए तैयार किया गया मसौदा या अंतिम योजना सम्मिलित है।

(त) 'विनियमन' का तात्पर्य है इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

(थ) 'नियम' का तात्पर्य है इस अध्यादेश के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से है;

(द) 'उप–क्षेत्र' का तात्पर्य क्षेत्र के ऐसे भाग से है जो पूरी तरह से किसी विशेष विकास प्राधिकरण या स्थानीय निकायों की सीमाओं के भीतर आता है, और

(ध) 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र' या 'अन्य क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र से है।

अध्याय–दो

राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र

राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों की स्थापना और उनकी सीमाओं में परिवर्तन

3–(1) सरकार, एक राज्य राजधानी क्षेत्र की स्थापना कर सकती है जिसमें राज्य की राजधानी और उसके आसपास का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा अवधारित करे और अन्य क्षेत्र जिसमें राज्य के ऐसे अन्य क्षेत्रफल सम्मिलित होंगे जैसा कि सरकार उनकी सीमाओं को परिभाषित करके अधिसूचना द्वारा अवधारित करे और ऐसे क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक क्षेत्र होंगे और ऐसे किसी भी क्षेत्र का नामकरण और नाम बदल सकती है। किसी भी मामले में, जहां किसी क्षेत्र का पुनः नामकरण किया जाता हो, तब किसी भी विधि या लिखत या क्षेत्र के लिए अन्य दस्तावेज में सभी संदर्भों को उस पुनः नामकरण किये गये क्षेत्र का संदर्भ माना जाएगा, जब तक कि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो या जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता न हो। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र का मुख्यालय होगा जबकि अन्य क्षेत्रों का मुख्यालय सरकार द्वारा अवधारित किया जाएगा।

2—सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा --

(क) किसी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, ताकि उसमें ऐसे क्षेत्र को शामिल किया जा सके या उसमें से बाहर किया जा सके जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ख) एक क्षेत्र बनाने के लिए दो या दो से अधिक क्षेत्रों का समामेलन कर सकती है; या

(ग) किसी भी क्षेत्र को दो या अधिक क्षेत्रों में विभाजित कर सकती है; या

(घ) घोषणा कर सकती है कि किसी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले क्षेत्रफल का पूरा या आंशिक भाग एक क्षेत्र या उसका आंशिक भाग नहीं रहेगा।

अध्याय— तीन

उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र/अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन और निगमन

4--(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए एक विकास प्राधिकरण का गठन कर सकती है जिसे राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम से, एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अध्यादेश के उपबन्धों के अध्यधीन, जंगम तथा स्थावर, दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण तथा निपटान हेतु तथा अनुबंध करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार और शक्ति के साथ एक सामान्य मुद्रा होगी और वह, और अपने पूर्वोक्त निगमित नाम से वाद करेगा या उसके विरूद्ध वाद किया जा सकेगा ।

(3) प्राधिकरण में ऐसी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि विहित किया जाय, और जब तक कि इस निमित्त बनाए गए नियमों में अन्यथा उपबंध न हो, प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थातः —

(क) मुख्यमंत्री प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा;

(ख) उपाध्यक्ष के रूप में सरकार के मुख्य सचिव;

(ग) प्राधिकरण के सदस्य और संयोजक के रूप में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव;

(घ) वित्त, विधि, राजस्व, नियोजन, नगरीय विकास, औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास, नमामि गंगे, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, वन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, सिंचाई और परिवहन विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पदेन;

(ङ) मंडलायुक्त जिसका मुख्यालय इस क्षेत्र में हो;

(च) जिला मजिस्ट्रेट जिसका मुख्यालय इस क्षेत्र में हो;

(छ) सम्पूर्ण या क्षेत्र के हिस्से में काम करने वाले संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष;

(ज) मुख्य नगर और ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेषज्ञ व्यक्तियों की संख्या पांच से अधिक नहीं है जिनके पास सरकार की राय में शहरी और क्षेत्रीय विकास, अभियंत्रण, परिवहन, उद्योग और पर्यावरण से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो;

(ञ) प्रबंध निदेशक या उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन या किसी अन्य अभिवहन प्राधिकरण के उनके प्रतिनिधि, वे कोई भी नाम से जाने जाय;

(ट) भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट रेलवे और रक्षा के प्रतिनिधि;

(ठ) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी सरकार के प्रमुख सचिव रैंक से नीचे का नहीं होगा, जब तक सरकार द्वारा अन्यथा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक आवास और शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे;

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कृत्यों का पालन करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ड) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का सदस्य सचिव;

(4) प्राधिकरण या किसी समिति या उसके अन्य निकाय का कोई भी अधिनियम या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नही समझी जाएगी कि –

(क) प्राधिकरण या उसकी समिति या निकाय का कोई भी सदस्य सम्यक रूप से निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या नियुक्त नहीं हो या किसी अन्य कारण से प्राधिकरण या इसकी समिति या निकाय के गठन या किसी भी बैठक के समय पद ग्रहण करने के लिए उपलब्ध नहीं हो या इसके गठन में कोई दोष हो, या कोई व्यक्ति एक से अधिक क्षमता में सदस्य हो या ऐसे किसी भी सदस्य के पदों पर एक या अधिक रिक्तियां हों।

(ख) प्राधिकरण या ऐसी समिति या निकाय की प्रक्रिया में कोई अनियमितता हो, जो विचाराधीन मामले के गुण–दोष को प्रभावित करती है।

(5) प्राधिकरण तीन माह में कम से कम एक बार ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे; और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का विनिश्चय और पालन करे (जिसमें कोरम भी सम्मिलित हो) जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(6) प्राधिकरण योजनाओं की तैयारी और अवसंरचना के निर्वहन में निम्नलिखित संस्थाओं/संगठनों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है: –

(क) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973), उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1986, के अधीन गठित विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश निर्माण–कार्य विनियमन अधिनियम, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन गठित नियंत्रित प्राधिकरण।

(ख) ऐसे क्षेत्र के अधीन आने वाले समस्त नगर निकाय।

(ग) यथास्थिति अन्य सरकारी और अर्ध–सरकारी विभाग:

परन्तु यह कि प्राधिकरण, प्रस्ताव द्वारा, यथास्थिति किसी अन्य संस्थानध्संगठन को जोड़ सकता है और उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है।

कार्यकारी समिति की संरचना।

5–(1) प्राधिकरण यथाशीघ्र इस अध्यादेश के प्रारंभ होने के पश्चात् प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायतार्थ एक समिति का गठन करेगा, जिसे कार्यकारी समिति कहा जाएगा;

(2) कार्यकारी समिति में ऐसे सदस्य समाविष्ट होंगे जैसा विहित किए जाएं और जब तक कि इस निमित्त बनाए गए नियम अन्यथा उपबंध नहीं करते हैं, समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात:–

क. प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा;

ख. राज्य सरकार के सचिव रैंक से अन्यून नगर विकास विभाग का प्रतिनिधि;

ग. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक;

घ. मुख्य अभियंता रैंक से अनिम्न लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि;

ङ. विशेष सचिव रैंक से अनिम्न परिवहन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधि;

च. वरिष्ठ नगर नियोजक रैंक से अनिम्न नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि;

छ. क्षेत्र के अधीन आने वाले विकास प्राधिकरणों के समस्त उपाध्यक्ष;

ज. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश;

झ. मुख्य विकास अधिकारी जिसका मुख्यालय क्षेत्र में हो;

ञ. क्षेत्र के अधीन आने वाले नगर निगम के नगर आयुक्त;

ट. कार्यकारी समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में प्राधिकरण के सदस्य–सचिव;

ठ. सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक सदस्य जो नगर नियोजन और विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो,

(3) कार्यकारी समिति ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर बैठक करेगी जैसा उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाए और इस संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जैसा वह अवधारित करे या बना सके।

6–(1) प्राधिकरण या समिति, किसी भी समय और ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह उचित समझे, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्राधिकरण या समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

(2) उप–धारा 5 (1) के अधीन सहयोजित व्यक्ति, यथास्थिति, प्राधिकरण या समिति के सदस्य की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन करेगा, किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा।

रिक्तियों आदि से समिति के प्राधिकार की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होना

7–प्राधिकरण या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्न कारणों से अविधिमान्य होगी –

क. प्राधिकरण या समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी दोष की विद्यमानता; या

ख. प्राधिकरण या समिति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण–दोष को प्रभावित नहीं करती है।

अध्याय–चार

प्राधिकरण और कार्यकारी समिति के कृत्य और शक्तियाँ

प्राधिकरण का कृत्य

8–प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करना होगा और उस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे –

क. क्षेत्र के अधीन ली जाने वाली भूमि के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार करना;

ख. संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायत और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ विभिन्न समन्वय में कार्यात्मक योजनाओं, महा योजनाओं, विकास स्कीमों और परियोजना योजनाओं की तैयारी का समन्वय करना;

ग. यह सुनिश्चित करना कि निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक के क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाएं क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हों;

घ. सरकारी निधि और राजस्व के अन्य स्रोतों के माध्यम से क्षेत्र में चयनित विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण की व्यवस्था करना और उसकी देखरेख करना; और

ङ. किसी भी अन्य कर्तव्यों या कृत्यों का पालन करना जो पूर्वगामी कर्तव्यों में से किसी के पूरक, आकस्मिक या परिणामी हैं, या जैसा कि विनियमों द्वारा उल्लिखित किया जाये।

प्राधिकरण की शक्तियाँ

9. प्राधिकरण की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियां सम्मिलित होंगी –

क. कार्यात्मक योजनाओं और विकास स्कीमों तथा परियोजना योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों अन्य स्थानीय प्राधिकरणों और क्षेत्र के भीतर सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त करना;

ख. क्षेत्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिये चरणों को इंगित करना;

ग. क्षेत्रीय योजना, कार्यात्मक योजना, विकास स्कीमों और परियोजना योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;

घ. व्यापक परियोजनाओं का चयन और अनुमोदन करना, प्राथमिकता वाले विकास का आह्वान करना और उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ऐसी सहायता उपबंध करना जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

ङ. स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और अन्य राज्य सरकार के विभागों को ऐसे निदेश देना, जो क्षेत्रीय योजना के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए अत्यावश्यक हों;

च. विकास क्षेत्रों की घोषणा के लिए क्षेत्र के भीतर स्थित विकास प्राधिकरणों के लिए सरकार की शक्तियों का प्रयोग करना और मास्टर प्लान का अनुमोदन/संशोधन/पुनरीक्षण करना;

छ. कार्यकारी समिति को ऐसे अन्य कृत्य सौंपें जो वह इस अध्यादेश के उपबंधों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

समिति के कृत्य

10–(1) कार्यकारी समिति के कृत्य, निम्नलिखित रूप में प्राधिकरण की सहायता करना होगा –

(क) क्षेत्रीय योजना और कार्यात्मक योजना की तैयारी और समन्वित कार्यान्वयन;

(ख) क्षेत्रीय योजनाओं और सभी परियोजना योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे क्षेत्रीय योजना के अनुरूप हैं।

(ग) कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति;

(घ) प्राधिकरण की परियोजनाओं और योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन, जिसमें ऐसी परियोजनाओं और योजनाओं की मंजूरी या अस्वीकृति सम्मिलित है;

(ङ) प्राधिकरण की परियोजनाओं और योजनाओं के लिए निविदाओं का अनुमोदन या अस्वीकृति;

(च) सरकार के अनुमोदन से किसी भी तरह से प्राधिकरण के अधिशेष धन का विनिधान;

(छ) प्राधिकरण की ओर से किसी भी कानूनी कार्यवाही को संस्थित, संचालित तथा प्रत्याहृत करना;

(2) समिति प्राधिकरण को ऐसी सिफारिश भी कर सकती है जो वह किसी भी कार्यात्मक योजना, विकास योजना या किसी भी परियोजना योजना में संशोधन या उपांतरण करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) समिति ऐसे अन्य कार्य करेगी जो प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(4) प्राधिकरण के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन, प्राधिकरण के मामलों का प्रबंधन कार्यकारी समिति में निहित होगा।

अधिकारी और कर्मचारिवृन्द

11–(1) सरकार, सरकार के सचिव से अनिम्न रैंक के अधिकारी को प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करेगी जो प्राधिकरण की समस्त कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करेगी और प्राधिकरण के समस्त अधिकारी और कर्मचारिवृन्द उसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर या नियुक्ति पर उप या सहायक क्षेत्रीय विकास अधिकारियों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों, विधि अधिकारी, लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(3) प्राधिकरण समय–समय पर अधिकारियों, कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन के लिए मंजूरी जारी कर सकता है जो प्राधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो। भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्त और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे जो विहित किया जाये।

क्षेत्रीय योजना की सामग्री

12–(1) क्षेत्रीय योजना एक लिखित विवरण होगा और इसके साथ ऐसे मानचित्र, आरेख, निदर्शचित्र और वर्णनात्मक मामले होंगे जो प्राधिकरण क्षेत्रीय योजना में निहित प्रस्तावों को समझाने या चित्रित करने के उद्देश्य से समुचित समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, आरेख, निदर्शचित्र और वर्णनात्मक मामले को क्षेत्रीय योजना का एक हिस्सा माना जाएगा।

(2) क्षेत्रीय योजना उस तरीके को इंगित करेगी जिसमें क्षेत्र की भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें हरित क्षेत्र, नगरीय वन और आमोद–प्रमोद संबंधी क्षेत्र सम्मिलित हैं, चाहे उन पर विकास करके या संरक्षण द्वारा या अन्यथा और ऐसे अन्य मामले जिनका क्षेत्र के विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है और ऐसी प्रत्येक योजना में क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे, अर्थात:–

क–भूमि उपयोग और विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि के आवंटन के संबंध में नीति;

ख–प्रमुख नगरीय बस्तियों के व्यवस्थापन पैटर्न के लिए प्रस्ताव;

ग–भविष्य के विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबंध करने के प्रस्ताव;

घ–सड़क, रेलवे, जलमार्ग, मेट्रो रेल, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और क्षेत्र की सेवा करने वाली धमनी मार्ग सहित परिवहन और संचार के संबंध में प्रस्ताव;

ङ–पेयजल की आपूर्ति जल निकासी और मलवहन के लिए प्रस्ताव;

च–"प्राथमिकता वाले क्षेत्रों" के रूप में तत्काल विकास की अपेक्षा वाले क्षेत्रों का;

छ–औद्योगिक गलियारे और औद्योगिक पार्क के लिए क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव;

ज–ऐसे अन्य मामले जो क्षेत्र के विकास और संतुलित विकास के उचित विकास के लिए राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों की सहमति से प्राधिकरण द्वारा सम्मिलित किए जा सकते हैं।

सर्वेक्षण और अध्ययन

13–क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए, प्राधिकरण ऐसे सर्वेक्षण और अध्ययन करा सकता है, जिन्हें वह ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह द्वारा करना आवश्यक समझता है, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त कर सकता है और ऐसे विशिष्ट मामलों के संबंध में अध्ययन करने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या सलाहकारों को भी संबद्ध कर सकता है, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

14–(1) किसी भी क्षेत्रीय योजना को तैयार करने से पहले, अंत में, प्राधिकरण समिति की सहायता से एक क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार करेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराके उसे प्रकाशित करेगा और किसी भी व्यक्ति से क्षेत्रीय योजना के प्रारूप के संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए उस दिनांक से पहले जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उस रूप में और उस तरीके से एक सूचना प्रकाशित करेगा जो विहित की जाए।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर क्षेत्रीय योजना द्वारा छुई गई कोई भी भूमि स्थित है, क्षेत्रीय योजना के मसौदे के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर भी देगा।

(3) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकरण अंततः क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा।

क्षेत्रीय योजना के प्रचालन का दिनांक

15–(1) क्षेत्रीय योजना अंततः तैयार किए जाने के तुरंत पश्चात, प्राधिकरण इस तरह से एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय योजना अंततः उसके द्वारा तैयार की गई है और उन स्थानों के नाम जहां क्षेत्रीय योजना की एक प्रति का समस्त उचित समय पर निरीक्षण किया जा सकता है और पूर्वोक्त सूचना के पूर्व प्रकाशन की दिनांक पर, क्षेत्रीय योजना प्रचालित होगी।

(2) पूर्व प्रकाशन के पश्चात धारा 14 द्वारा अपेक्षित क्षेत्रीय योजना का प्रकाशन, निश्चायक प्रमाण होगा कि क्षेत्रीय योजना सम्यक रूप से तैयार की गई है।

क्षेत्रीय योजना में संशोधन

16–(1) प्राधिकरण, उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, क्षेत्रीय योजना में ऐसा संशोधन कर सकता है जो अंततः उसके द्वारा तैयार किया गया हो, जो वह उचित समझे, संशोधन हैं जो उसकी राय में, क्षेत्रीय योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करते हैं और जो भूमि–उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से संबंधित नहीं हैं।

(2) अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में कोई भी संशोधन करने से पूर्व, प्राधिकरण एक अधिसूचना, ऐसे प्रारूप में और उस रीति से जो विहित हो प्रकाशित करेगा जिसमें उन संशोधनों का संकेत दिया जाएगा जो अंत में तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख करना और प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसे दिनांक से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और उन सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करना जो उसे प्राप्त हो सकते हैं।

(3) इस धारा के अधीन किए गए प्रत्येक संशोधन को इस रीति से प्रकाशित किया जाएगा जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे और संशोधन या तो ऐसे प्रकाशन के दिनांक को या ऐसे दिनांक को प्रचालित होंगे जो प्राधिकरण नियत करे।

(4) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्रस्तावित संशोधन ऐसे संशोधन हैं जो क्षेत्रीय योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं या क्या वे भूमि उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से संबंधित हैं, तो यह प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

क्षेत्रीय योजना में संशोधन

17–(1) अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना के प्रचालित होने के दिनांक से प्रत्येक दस वर्ष पश्चात, प्राधिकरण ऐसी क्षेत्रीय योजना की सम्पूर्ण रूप से पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के पश्चात, इसे नवीन क्षेत्रीय योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है या उसमें ऐसे संशोधन या परिवर्तन कर सकता है, जो उसे आवश्यक लगे।

(2) जहां अंतिम रूप से पूर्व में तैयार की गयी क्षेत्रीय योजना के स्थान पर एक नई क्षेत्रीय योजना को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है या जहां अंतिम रूप से तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है, ऐसी नई योजना या, जैसा भी मामला हो, संशोधन या परिवर्तन अंत में तैयार की गई क्षेत्रीय योजना में, उसी तरीके से प्रकाशित और निपटा जाएगा जैसे कि यह धारा 14 और 15 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय योजना थी या जैसे कि वे धारा 16 के अधीन क्षेत्रीय योजना में किए गए संशोधन या परिवर्तन थे।

अध्याय–पाँच

कार्यात्मक योजनाएं, परियोजना योजनाएं, विकास योजना और महायोजनाएं

कार्यात्मक योजना तैयार करना

18–क्षेत्रीय योजना के प्रचालित होने के पश्चात, प्राधिकरण अन्य प्राधिकरणों और उनके परामर्श से संबंधित स्थानीय निकायों के उचित मार्गदर्शन के लिए जितनी आवश्यक हो उतनी कार्यात्मक योजनाएं तैयार कर सकता है।

परियोजना योजनाओं की तैयारी और निष्पादन

19–प्राधिकरण, स्वयं या संबंधित एक या अधिक प्रतिभागी प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यथाशक्य क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों के लिए परियोजना योजनाएं तैयार करता है और ऐसी परियोजना योजना का निष्पादन प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जाएगा या प्राधिकरण द्वारा किसी उपयुक्त एजेंसी, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग को प्राधिकरण द्वारा निष्पादन हेतु समनुदेशित किया जाएगा।

विकास योजनाओं की तैयारी

20–प्राधिकरण, स्वयं या संबंधित एक या अधिक प्रतिभागी प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों के सहयोग से यथाशक्य क्षेत्रीय योजना या कार्यात्मक योजना के एक या अधिक तत्वों के लिए विकास योजना तैयार करता है और प्राधिकरण या तो योजना को स्वयं निष्पादित कर सकता है या किसी उपयुक्त एजेंसी, स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण या किसी सरकारी विभाग को निष्पादन समनुदेशित कर सकता है।

महायोजना की तैयारी

21–प्रत्येक विकास प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण या स्थानीय निकाय, जैसा भी मामला हो, क्षेत्रीय योजना के अनुरूप अपनी मास्टर प्लान तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय–छः

वित्त, खाते और लेखा परीक्षा

प्राधिकरण की निधियाँ

22–(1) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की स्वयं अपनी निधि होगी और उसे बनाए रखा जाएगा जिसमें जमा किया जायेगा –

क–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार से अनुदान, ऋण, अग्रिम या अन्य के माध्यम से प्राप्त समस्त धन;

ख–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से ऋण या डिबेंचर के माध्यम से उधार लिए गए समस्त धन;

ग–इस अधिनियम के अधीन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त शुल्क, पथकर और शुल्क;

घ–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवनों और अन्य चल और अचल संपत्तियों के निपटान से प्राप्त समस्त धन; और

ङ–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा किराए और लाभ के रूप में या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन,

(2) इस निधि का उपयोग इस अध्यादेश के प्रशासन में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाएगा और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होगा।

(3) सरकार के किसी भी निदेश के अध्यधीन, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण किसी भी अनुसूचित बैंक के चालू खाते में अपनी निधि से ऐसी धनराशि रख सकता है जो वह अपनी अपेक्षित वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे और किसी भी अधिशेष धन का निवेश इस तरह से कर सकता है जो वह उचित समझे।

(4) सरकार, उस ओर से कानून द्वारा विधानमंडल द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे अनुदान, अग्रिम और ऋण दे सकती है जो सरकार इस अध्यादेश के तहत क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे और किए गए सभी अनुदान, ऋण और अग्रिम ऐसे नियमों और शर्तों पर होंगे जो सरकार निर्धारित करे।

(5) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार के अतिरिक्त) से ऋण या डिबेंचर के माध्यम से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर धन उधार ले सकता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(6) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उप–धारा (5) के अधीन उधार लिए गए धन के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि बनाए रखेगा और निक्षेप निधि में प्रत्येक वर्ष ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो इस तरह से उधार लिए गए समस्त धन की नियत अवधि के भीतर पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त हो।

(7) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग उस ऋण के निर्वहन में या उसके लिए लागू किया जाएगा जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गई थी और जब तक ऐसा ऋण पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया जाता है, तब तक इसे किसी अन्य प्रयोजनार्थ लागू नहीं किया जाएगा।

बजट

23–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष ऐसे रूप में और ऐसे समय पर, जो सरकार विहित करे, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में एक बजट तैयार करेगा।

लेखा और लेखा परीक्षा

24–(1) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगा और तुलनपत्र सहित लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जो सरकार विहित करे।

(2) प्रत्येक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के खातों का वार्षिक लेखा–परीक्षण परीक्षक, स्थानीय निधि खातों के अध्यधीन होगा:

परन्तु यह कि परीक्षक, स्थानीय निधि खातों के स्थान पर या उनके अतिरिक्त, सरकार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य महालेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धन और शर्तों पर, इस रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर लेखा परीक्षा सौंप सकती है, जिस पर उनके और सरकार के बीच सहमति हो।

(3) उप–धारा (2) के अधीन लेखापरीक्षा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार –

(क) परीक्षक के मामले में खाते वहीं होंगे जो स्थानीय प्राधिकारी के खातों के लेखा परीक्षा के संबंध में उसके पास है;

(ख) उत्तर प्रदेश के महालेखाकार या यथाशक्य, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वही होगा जो उसने सरकारी खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में किया है, और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में, जैसा कि विहित किया गया है; और, विशेष रूप से, उसे पुस्तकों, खातों, जुड़े वाउचर, कागजात और अन्य दस्तावेजों को पेश करने की मांग करने और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के लेखा, जो लेखा परीक्षक या उस ओर से उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए गए हैं, उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ सरकार को सालाना या ऐसे समय पर भेजे जाएंगे जो उसके द्वारा निर्देशित किए जाएं। सरकार क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(5) लेखापरीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा किया गया कोई भी खर्च क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षक को देय होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

25–क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के लिए उस वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और सरकार को उस रूप में और उस दिनांक को या उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो सरकार विहित करे और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

पेंशन और भविष्य निधि

26–(1) क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने पूर्णकालिक वेतनभोगी सदस्यों और अपने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(2) जहां ऐसे किसी व्यक्ति या भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां सरकार घोषणा कर सकती है कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (अधिनियम संख्याप 19, सन 1925) का उपबंध ऐसी निधि पर लागू होंगे मानो की वह सरकारी भविष्य निधि हो।

परियोजनाओं और योजनाओं को वित्तपोषित करने और उनकी शर्तें अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति

27–प्राधिकरण धारा 12 के किसी भी प्रयोजन हेतु राज्य राजधानी क्षेत्र में किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण को अनुदानों, अग्रिमों या ऋणों को देने या व्ययों को साझा करने के लिए सक्षम होगा, और तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी विधि में अन्तर्विष्ट, किसी बात के होते हुए भी निर्बन्धनों के अध्यधीन यदि कोई उसमें अन्तर्विष्ट हो वह ऐसे निबन्धन और पूर्ति के अध्यधीन ऐसे अनुदानों, अग्रिमों या ऋणों या व्ययों को साझा करने में स्वीकार करने हेतु ऐसे अन्य प्राधिकरण के लिए विधिपूर्ण होगा, जैसा कि प्राधिकरण ऐसे अन्य प्राधिकारी के परामर्श से समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें।

प्राधिकरण द्वारा लिए गए या दिए गए ऋणों के लिए राज्य गारंटी

28–राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा उठाए गए या दिए गए या उसे अंतरित किए गए किसी भी ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की गारंटी ऐसी शर्तों के अध्यधीन दे सकती है, जैसा कि राज्य सरकार अधिरोपित करने के लिये उचित समझे।

अध्याय–सात

भूमि और संपत्ति संबंधी उपबंध

प्राधिकरण द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण

29–प्राधिकरण किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन क्रय, विनिमय, दान, पट्टे, बंधक, बातचीत के निपटान या किसी भी विधि के अधीन अनुन्जेय किसी अन्य माध्यम से कर सकता है।

भूमि अर्जन की शक्ति

30–किसी भी योजना में अपेक्षित, आरक्षित या नामित किसी भी भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या–30 सन् 2013) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि समझा जाएगा और प्राधिकरण के अनुरोध पर सरकार द्वारा अर्जित किया जा सकता है।

भूमि विकास बैंक का सृजन और प्रबंधन

31–प्राधिकरण एक क्षेत्र भूमि विकास बैंक का सृजन और रखरखाव करेगा जिसमें किसी भी माध्यम से अर्जित, आवंटित, क्रय या प्राप्त की गयी सभी भूमि का रखरखाव, संरक्षण और अध्यादेश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

सरकारी भूमि का प्राधिकरण को अंतरण

32–सरकार विशिष्ट आदेशों द्वारा और ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जिन पर सरकार और प्राधिकरण के मध्य सहमति हो सकती है और इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी विकसित और अविकसित सरकारी भूमि को प्राधिकरण के निपटान में रखती है।

प्राधिकरण द्वारा भूमि और अन्य संपत्ति का निपटान

33–(1) प्राधिकरण अपने निपटान में उपलब्ध भूमि का उपयोग केवल परियोजना योजना या विकास योजना के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए करेगा। तथापि, सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी भी निदेशों के अध्यधीन और ऐसी भूमि के अनुदान या अर्जन के निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, प्राधिकरण किसी भी भूमि का निपटान कर सकता है, उस पर कोई विकास कार्य किये बिना या कार्यान्वित किये बिना या ऐसा विकास करने या कार्यान्वित करने के बाद जो वह ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित समझे, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जो वह इस अध्यादेश के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समीचीन मानती है।

(2) इस अध्यादेश में ऐसा कुछ भी नहीं किया जायेगा जो दान के रूप में भूमि का निपटान करने में प्राधिकरण को समर्थ बनाता हो, किन्तु इस अध्यादेश में अध्यधीन भूमि के निपटान हेतु सन्दर्भों को किसी रीति से चाहें विक्रय, विनिमय या पट्टे के रूप में या किसी सुखाचार के सृजन, अधिकार या विशेषाधिकार या अन्यथा द्वारा उसके निपटान के संदर्भ के रूप में माना जायेगा।

अध्याय–आठ

विविध

अध्यारोही प्रभाव रखने के लिए कार्य

34–इस अध्यादेश के उपबन्ध किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी डिक्री या आदेश में या इस अध्यादेश से भिन्न उत्तर प्रदेश राज्य के किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट उसके साथ असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

निदेश देने की सरकार की शक्ति

35–सरकार समय–समय पर प्राधिकरण को ऐसा निदेश दे सकती है जैसी वह इस अध्यादेश के कुशल प्रशासन के लिए उचित समझे और जब ऐसा कोई निदेश दिया जाता है, तो प्राधिकरण ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

क्षेत्रीय योजना का उल्लंघन

36–(1) अंतिम रूप से प्रकाशित करने योग्य क्षेत्रीय योजना के प्रवर्तन में आने पर या आने से, उस क्षेत्र में कोई विकास योजना नहीं बनायी जाएगी जो अंतिम रूप से यथा प्रकाशित क्षेत्रीय योजना से असंगत हो।

(2) जहां प्राधिकरण का समाधान हो जाय कि किसी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी विभागों और व्यक्तियों ने ऐसी गतिविधि की है या कर रहे हैं जिससे क्षेत्रीय योजनाओं का उल्लंघन हो, तो वह लिखित सूचना द्वारा यथास्थिति संबंधित प्रतिभागी स्थानीय प्राधिकरण सरकारी विभागों और व्यक्तियों को ऐसे समय के भीतर क्षेत्रीय योजना के ऐसे उल्लंघन को रोकने हेतु निर्देश दे सकता है जैसा कि उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और किसी भी लोप या इंकार की दशा में ऐसी गतविधि को रोकने के लिए संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी विभागों और व्यक्तियों की ओर से संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों की ऐसी वित्तीय सहायता को रोका जाये जैसा प्राधिकरण आवश्यक समझे और इस संबंध में बनाए गए नियम के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई करे।

प्रतिनिधिमण्डल की शक्ति

37–प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, समय–समय पर, अपने द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति (विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) या इस अध्यादेश द्वारा या किसी के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले किसी कृत्य या उसके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले किसी कर्तव्य को ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है जो ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट किये जायें।

प्रवेश की शक्ति

38–इस निमित्त में बनाए गए किसी भी नियम के अध्यधीन, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः या विशेष रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि या परिसर में सभी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकता है और उस पर ऐसी चीजें कर सकता है जो इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य के करने के लिए प्रारंभिक या आनुषंगिक रूप से किसी भी कार्य को विधिपूर्ण करने या कोई सर्वेक्षण, परीक्षा या जांच करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भवन, या आवासीय निवास गृह से जुड़े किसी संलग्न आंगन या बगीचे में प्रवेश नहीं करेगा, जब तक कि उस पर कब्जा करने वाले को ऐसा करने के अपने आशय के बारे में पहले कम से कम तीन दिनों की लिखित सूचना न दी गई हो।

सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी लोक सेवक होंगे

39–प्राधिकरण के सदस्य–सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब इस अध्यादेश के किसी भी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने के लिये तात्पर्यित हों, तो वे भारतीय दंड संहिता 1860 (अधिनियम संख्यां 45, सन 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण

40–प्राधिकरण या किसी सदस्य या किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग करने या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कृत्य का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है, या किसी भी ऐसी बात के लिए जो इस अध्यादेश के अधीन सद्भावना से की जाने वाली हो या किये जाने के आशयित हो।

नियम बनाने की शक्ति

41–(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सभी या निम्नलिखित में से किसी मामले के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थातः –

(क) क्रमशः धारा 3 की उप–धारा (3) और धारा 4 की उप–धारा (2) द्वारा विहित किये जाने वाले यथा अपेक्षित प्राधिकरण और समिति के सदस्यों की संरचना और संख्या;

(ख) धारा 3 की उप–धारा (4) द्वारा विहित किये जाने वाले यथा अपेक्षित सदस्यों के पद के निबन्धनों और शर्तों;

(ग) वह प्रपत्र और रीति जिसमें धारा 13 की उप–धारा (1) और धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन सूचना प्रकाशित की जाएगी;

(घ) वह रीति जिसमें धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन सूचना प्रकाशित की जाएगी;

(ङ) वह प्रपत्र जिसमें और जिस समय प्राधिकरण धारा 22 के अधीन अपना बजट और धारा 24 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और जिस रीति से प्राधिकरण के लेखाओं को धारा 23 के अधीन बनाए रखा जायेगा और लेखा परीक्षा किया जाएगा;

(च) धारा 28 के अधीन प्रवेश करने की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बन्धन और उससे संबंधित अन्ये मामले; और

(छ) वह प्रपत्र और रीति जिसमें धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई करने के लिए इसके अधीन नोटिस जारी किया जाना है;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

42–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के साथ संगत विनियम और इस अध्याादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये उसके अधीन बनाये गये नियमों को बना सकता है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम सभी या निम्नलिखित में से किसी भी मामले के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थातः –

(क) जिस रीति से और उन प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण धारा 10 के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकता है;

(ख) धारा 10 की उप–धारा (3) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में विनियम द्वारा उपबंध किये जाने हैं या किए जा सकते हैं।

प्राधिकरण का विघटन

43–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि जिन प्रयोजनों लिए इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी, वे पर्याप्त रूप से प्राप्त कर लिया गया है या प्राधिकरण अपने उद्देश्यों में विफल रहा है, ताकि प्राधिकरण के निरंतर अस्तित्व को अनावश्यक बनाया जा सके, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि प्राधिकरण को ऐसे दिनांक से प्रभावी रूप से भंग कर दिया जाएगा जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाय और प्राधिकरण को तदनुसार भंग हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त दिनांक से –

(क) सभी संपत्तियाँ, निधियाँ और देय राशि जो प्राधिकरण में निहित हैं या प्राधिकरण द्वारा वसूलने योग्य है, वह राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूली योग्य होगी।

(ख) प्राधिकरण के विरूद्ध प्रवर्तनीय सभी देनदारियां राज्य सरकार के विरूद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

(ग) किसी विकास को निष्पाादित करने के प्रयोजनार्थ जो प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया हो और खंड (क) में निर्दिष्ट संपत्तियों, निधियों और बकाया की वसूली के प्रयोजन हेतु प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किये जायेगें।

(3) इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि राज्य सरकार को इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण का पुनर्गठन करने से रोकती है।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
वन्दना सिंह,
विशेष सचिव एवं
विधि परामर्शी।

No. 86(2)/LXXIX-V-1–2024-2(ka)-4-2024

Dated Lucknow, March 7, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Rajdhani Kshetra Evam Anya Kshetra Vikas Pradhikaran Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 4 of 2024) promulgated by the Governor. The Awas evam Shahri Niyojan Anubhag-3 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE CAPITAL REGION AND OTHER REGIONS DEVELOPMENT AUTHORITY ORDINANCE, 2024

(U.P. Ordinance no. 4 of 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy- fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

to provide for the establishment of Uttar Pradesh State Capital Regional Development Authority and other Regional Development Authority for the preparation of Regional Plan for the development of the Uttar Pradesh State Capital Region and other regions of the State for the purpose of coordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the areas in that Region and of executing plans, projects and schemes for such development, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient in the public interest to provide for the establishment of Uttar Pradesh State Capital Regional Development Authority and other Regional Development Authority for the preparation of Regional Plan for the development of such Region and for the purpose of coordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the areas in that Region and of executing plans, projects and schemes for such development, and to provide for matters connected therewith or incidental thereto;

AND WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Capital Region and other Regions Development Authority Ordinance, 2024 .

(2) It shall extend to the Uttar Pradesh State Capital Region and other Regions as notified by the Government.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, appoint.

Definitions

2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or the context.—

(a) 'Agriculture' includes horticulture, poultry farming, the raising of crops, fruits, vegetables, flowers, grass or trees of any kind, breeding of livestock including cattle, horses, donkeys, mules, pigs, breeding of fish and keeping of bees, the use of land for grazing cattle and for any purpose which is ancillary to its cultivation or other agricultural purpose but does not include the use of land as a garden which is an appendage to a building and the expression "agricultural" shall be construed accordingly;

(b) 'Amenity' includes roads, bridges, any other means of communication, transport, supply of water and electricity, any other source of energy, street lighting, drainage, sewerage and conservancy, and any other convenience as the State Government in consultation with Authority, may from time to time, by notification in the official *Gazette*, specify to be amenity for the purposes of this Ordinance ;

(c) 'Authority' means the Uttar Pradesh State Capital Region Development Authority or Regional Development Authority constituted under sub-section (1) of section 4 ;

(d) 'Committee' means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 5;

(e) 'Development', with its grammatical variations, means the carrying out of building , engineering, mining or other operations in, or over, or under any land (including land under river, lake or any other water) or the making of any material change in any building of land, or in the use of any building or land and includes redevelopment and layout and sub-divisions of any land and also the provisions of amenities and projects and schemes for development of industrial, agriculture, horticulture, floriculture, forestry, dairy development, poultry, farming, piggery, cattle breeding, fisheries and other similar activities and the words 'to develop' shall be construed accordingly;

(f) 'Development authority' means,-

(i) an authority constituted under section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973) ;

(ii) an authority constituted under section 4 of the Uttar Pradesh Special Area Development Authority Act, 1986 (U.P. Act no. 9 of 1986) ;

(iii) a Controlling Authority constituted under section 4 of the Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations) Act, 1958 (U.P. Act no. 34 of 1958) ;

(g) 'Development Scheme' means a scheme to implement one or more elements of the Functional Plan or Regional Plan ;

(h) 'Functional Plan' means a plan prepared to elaborate one or more elements of the Regional Plan ;

(i) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh ;

(j) 'Land' includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(k) 'Local Authority' means ,-

(i) a Municipal Corporation constituted under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) ;

(ii) a Nagar Palika Parishad or Nagar Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) ;

(iii) a Kshetra Panchayat or Zila Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961); or

(iv) any local authority constituted under any law by the Government;

(l) 'Master Plan' means a master plan prepared by development authorities in accordance with the provisions of their respective Acts for the development of land within their jurisdiction;

(m) 'Prescribed' means prescribed by rules made under this Ordinance;

(n) 'Project Plan' means a detailed plan prepared to implement one or more elements of the Regional Plan, District Plan, Functional Plan, Master Plan, Development scheme , as the case may be;

(o) 'Regional Plan' means plan prepared under the provisions of this Ordinance for the development or re-development of Region as defined in this Ordinance, or for any part thereof and includes a draft or final plan prepared for the said region or any part thereof;

(p) 'Regulations' means regulations made by the Authority under this Ordinance;

(q) 'Rules' means rules made by the Government under this Ordinance;

(r) 'Sub-Region' means such part of the region as falls entirely within the limits of a particular development authority or local bodies ;

(s) 'Uttar Pradesh State Capital Region' or 'Other Region' means the area notified by the Government under section 3 .

CHAPTER-II

STATE CAPITAL REGION AND OTHER REGIONS

Establishment of State Capital Region and other Regions and alteration of their limits

3. (1) The Government may establish a State Capital Region comprising of such area in and around State capital as it may determine by notification and other Regions comprising of such other area in the State as it may determine by notification by defining their limits and such regions shall be a Region for the purposes of this Act, and may name and alter the name of any such Region. In any case, where any Region is re-named, then all references in any law or instrument or other document to the Region shall be deemed to be a reference to the Region as re-named, unless expressly otherwise provided or unless the context so requires. Lucknow shall be the headquarter of the State Capital Region whereas, headquarters of other regions shall be determined by the Government.

(2) The Government may, by notification in the Official *Gazette* , -

(a) alter the limits of a Region, so as to include therein or to exclude therefrom such area as may be specified in the notification; or

(b) amalgamate two or more Regions so as to form one Region; or

(c) split up any Region into two or more Regions; or

(d) declare that the whole or part of the area comprising a Region shall cease to be a Region or part thereof.

CHAPTER-III

THE UTTAR PRADESH STATE CAPITAL REGION/OTHER REGION DEVELOPMENT AUTHORITY

Constitution and incorporation of the Authority

4. (1) The Government may, by notification in the Official *Gazette*, constitute for the purposes of this Ordinance a Development Authority known as Uttar Pradesh State Capital Region Development Authority for State Capital Region and Regional Development Authority for other regions.

(2) The Authority shall be a body corporate, by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Ordinance, to acquire, hold and dispose the property, both movable and immovable, and to contract and sue or be sued by its corporate name aforesaid.

(3) The Authority shall consist of such number of members as may be prescribed, and unless the rules made in this behalf otherwise provide, the Authority shall consist of the following members, namely:-

(a) The Chief Minister to be Chairman of the Authority;

(b) The Chief Secretary to Government as Vice-Chairman;

(c) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Department of Housing and Urban Planning as member and convener of the Authority;

(d) The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary to the Departments of Finance, Law, Revenue, Planning, Urban Development, Industrial and Infrastructure Development, Namami Gange, Public Works Department, Tourism, Forest, Rural Development, Panchayati Raj, Agriculture, Irrigation and Transport, ex-officio;

(e) The Divisional Commissioner having their headquarter in the region;

(f) The District Magistrates having their headquarter in the region;

(g) The Vice Chairman of the concerned development authorities functioning in the whole or part of the Region;

(h) The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, ex-officio;

(i) such number of expert persons , not exceeding five , appointed by the Government who in the opinion of the Government have special knowledge or practical experience of matters relating to urban and regional development, engineering, transport, industry and environment;

(j) The Managing Director, or their representatives, of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation or any other transit authority by whatever name they are known;

(k) The Representatives of Railways and Defence nominated by Government of India;

(l) There shall be a Chief Executive Officer nominated by the Government not below the rank of Principal Secretary to the Government. Unless nominated otherwise by the Government, Additional Chief Secretary, Housing and Urban Planning Department will be the Chief Executive Officer.

Chief Executive Officer shall perform such functions and exercise such powers as assigned by the Authority;

(m) The Member Secretary to the Regional Development Authority.

(4) No act or proceeding of the Authority or of any Committee or other body thereof shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that,-

(a) any of the members of the Authority or its Committee or body are not duly elected, nominated or appointed or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or any meeting of the Authority or of its Committee or body or there is any defect in the constitution thereof, or any person is a member in more than one capacity or there are one or more vacancies in the offices of any such member ;

(b) there is any irregularity in the procedure of the Authority or such Committee or Body, affecting the merits of the matter under consideration.

(5) The Authority shall meet at least once in three months, at such place and time as the Chairman may decide; and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum there at) as may be laid down by regulations.

(6) The Authority may utilize the services of following institutions/ organizations in discharging preparation of plans and development of infrastructure:-

(a) Development Authorities constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act no. 11 of 1973), the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act no. 9 of 1986) and the controlling authorities constituted under the Uttar Pradesh (Regulations of Building Operations) Act, 1958 (U.P. Act no. 34 of 1958) ;

(b) All Municipal bodies falling under such region;

(c) Other Government and Semi-Government departments, as the case may be:

Provided that Authority may, by a resolution add any other institutions/ organizations as the case may be, and delegate to them powers.

Composition of the Executive Committee

5. (1) The Authority shall as soon as may be, after the commencement of this Ordinance, constitute a Committee, to be called the Executive Committee for assisting the Authority in the discharge of its functions.

(2) The Executive Committee shall consist of such members as may be prescribed and unless the rules made in this behalf otherwise provide, the Committee shall consist of the following members, namely:-

(a) The Chief Executive Officer of the Authority shall be the Chairman of the Executive Committee;

(b) The representative of Urban Development Department not below the rank of Secretary to the State Government;

(c) The Managing Director of Uttar Pradesh Metro Rail Corporation;

(d) The representative of Public Works Department not below the rank of Chief Engineer;

(e) The representative of Infrastructure and Industrial Development, Rural Development, Transport, and Panchayati Raj Department not below the rank of Special Secretary;

(f) The representative of Town and Country Planning Department not below the rank of Senior Town Planner;

(g) All Vice- Chairman of Development Authorities falling under the region;

(h) The Director, Local Bodies, Uttar Pradesh;

(i) The Chief Development Officers having their headquarter in the region;

(j) The Municipal Commissioners of the Municipal Corporations falling under the region;

(k) The Member Secretary of the Authority as member and convenor of the Executive Committee;

(l) One member who is expert in the field of urban planning and development to be appointed by the Government.

(3) The Executive Committee shall meet at such place and at such time as may be determined by its Chairman, and shall observe such rules of procedure as it may determine or frame in this regard.

Co-opting persons as members of Authority or Committee

6. (1) The Authority or the Committee may, at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons as a member or members of the Authority or of the Committee.

(2) A person co-opted under sub-section (1) shall exercise and discharge all the powers and functions of a member of the Authority or of the Committee, as the case may be, but shall not be entitled to vote.

Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Authority or the Committee

7. No act or proceeding of the Authority or the Committee shall be invalid merely by reason of,-

(a) the existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Authority or the Committee; or

(b) any irregularity in the procedure of the Authority or of the Committee not affecting the merits of the case.

CHAPTER-IV

FUNCTION AND POWERS OF THE AUTHORITY AND OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Functions of the Authority

8. The main object of the Authority shall be to secure the development of the region according to the Regional Plan, and for that purpose the functions of the Authority shall be, —

(a) to prepare the Regional Plan for the area under Region;

(b) to co-ordinate the preparation of Functional Plans, Master Plans, Development Schemes and Project Plans in close coordination with concerned Development Authority, Corporation, Local bodies, Panchayat and various Government Departments;

(c) to ensure that infrastructure projects in the region in private sector and public sector are in consonance with the regional plan;

(d) to arrange for and oversee the financing of selected development projects in the region through Government fund and other sources of revenue; and

(e) to perform any other duties or functions as are supplemental, incidental or consequential to any of the foregoing duties, or as may be mentioned by regulations .

Powers of Authority

9. The powers of the Authority shall include the powers to, -

(a) seek information from the Development Authorities, local bodies, other local authorities and Departments of Government within region with regard to preparation and implementation of Functional Plans and Development Schemes and Project Plans;

(b) indicate the stages for the implementation of the Regional Plan;

(c) review the implementation of the Regional Plan, Functional Plan, Development Schemes and Project Plan;

(d) select and approve comprehensive projects, call for priority development and provide such assistance for the implementation of those projects as the Authority may deem fit;

(e) give such directions to the local bodies, development authorities and other State Government departments, which are essential for implementation of objectives of regional plan;

(f) exercise the powers of Government for development authorities lying within the region for declaration of development areas, and approval/amendment/revision of master plan;

(g) entrust to the Executive Committee such other functions as it may consider necessary to carry out the provisions of this Ordinance.

Function of the Executive Committee

10. (1) The functions of the Executive Committee shall be to assist the Authority in,-

(a) the preparation and coordinated implementation of the Regional Plan and the Functional Plan;

(b) coordinate implementation of the Regional Plans and all Project Plans to ensure that the same are in conformity with the Regional Plan;

(c) appointment of staff;

(d) planning and implementation of projects and schemes of the Authority, including approval or rejection of such projects and schemes;

(e) approval or rejection of tenders for projects and schemes of the Authority;

(f) investment of surplus money of Authority in any manner with approval of Government;

(g) the institution, conduct and withdrawal of any legal proceedings on behalf of the Authority.

(2) The Committee may also make such recommendation to the Authority as it may think necessary to amend or modify any Functional Plan, Development Scheme or any Project Plan.

(3) The Committee shall perform such other functions as may be entrusted to it by the Authority.

(4) Subject to the general superintendence and control of the Authority, the management of the affairs of the Authority shall vest in the Executive Committee.

Officers and Staff

11. (1) The Government shall appoint an officer not below the rank of Secretary to Government as full-time Member Secretary of the Authority who shall exercise all the executive powers of the Authority and all officers and staff of the Authority shall work under his administrative control.

(2) The Authority may appoint Deputy or Assistant Regional Development Officers, Urban Planners, Engineers, Law Officer, Accounts Officer, and other officers either on deputation or on appointment.

(3) The Authority may, from time to time, issue sanction for creation of posts of officers and staff as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Authority. The conditions of recruitment, appointment and service and the powers and duties of such officers and staff shall be such as may be prescribed.

Contents of the Regional Plan

12. (1) The Regional Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations, and descriptive matters as the Authority may deem appropriate for the purpose of explaining or illustrating the proposals contained in the Regional Plan and every such map, diagram, illustration, and descriptive matter shall be deemed to be a part of the Regional Plan.

(2) The Regional Plan shall indicate the manner in which the land in the region shall be used, including green belts, urban forests and recreational areas whether by carrying out development thereon or by conservation or otherwise and such other matters as are likely to have any important influence on the development of Region and every such Plan shall include the following elements needed to promote growth and balanced development of the Region, namely:-

(a) the policy in relation to land use and the allocation of land for different uses ;

(b) the proposals for major urban settlement pattern;

(c) the proposals for providing suitable economic base for future growth;

(d) the proposals regarding transport and communications including roads, railways, waterways, metro rail, bus rapid transit system and arterial roads serving the region;

(e) the proposals for the supply of drinking water, drainage and sewerage;

(f) indication of the areas which require immediate development as " priority areas " ;

(g) regional plan proposals for industrial corridor and industrial park;

(h) such other matters as may be included by the Authority with the concurrence of the Government and local authorities for the proper development of the growth and balanced development of the region .

Surveys and studies

13. For the preparation of the Regional Plan, the Authority may cause such surveys and studies, as it may consider necessary to be made by such persons or group of persons as it may appoint in this behalf and may also associate such experts or consultants for carrying out studies in relation to such specific matters as may be determined by the Authority.

Procedure to be followed for the preparation of the Regional Plan

14. (1) Before preparing any Regional Plan, finally, the Authority shall prepare with the assistance of the Committee, a Regional Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Regional Plan before such date as may be specified in the notice.

(2) The Authority shall also give reasonable opportunity to every local authority within whose local limits any land touched by the Regional Plan is situated to make any representation with respect to the draft Regional Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that may have been received by the Authority, the Authority shall finally prepare the Regional Plan.

Date of coming into operation of the Regional Plan

15. (1) Immediately after the Regional Plan has been finally prepared, the Authority shall publish in such a manner as may be prescribed, a notice, stating that the Regional Plan has been finally prepared by it and naming the places where a copy of the Regional Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publications of the aforesaid notice, the Regional Plan shall come into operation.

(2) The publication of the Regional Plan, after previous publication, as required by section 14, shall be conclusive proof that the Regional Plan has been duly prepared.

Amendment of Regional Plan

16. (1) The Authority may, subject to the provisions of sub-section (2) make such amendment in the regional plan as finally prepared by it, as it may think fit, being amendments which, in its opinion, do not effect important alterations in the character of the Regional Plan and which do not relate to the extent of land-uses or the standard of population density.

(2) Before making any amendments in the finally prepared Regional Plan, the Authority shall publish a notice, in such form and in such manner as may be prescribed, indicating therein the amendments which are proposed to be made in the finally prepared Regional Plan, and inviting objections and suggestions from any persons with respect to the proposed amendments before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by it on or before the date so specified.

(3) Every amendment made under this section shall be published in such a manner as the Authority may specify and the amendments shall come into operation either on the date of such publication or on such later date as the Authority may fix.

(4) If any question arises whether the amendments proposed to be made are amendments which effect important alterations in the character of the Regional Plan or whether they relate to the extent of land use or the standard of population density, it shall be decided by the Authority, whose decision thereon shall be final.

Revision of Regional Plan

17. (1) After every ten years from the date of coming into operation of the finally prepared Regional Plan, the Authority shall review such Regional Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by fresh Regional Plan or may make such amendments or alterations therein, as may be found by it to be necessary.

(2) Where it is proposed to substitute a fresh Regional Plan in place of the Regional Plan which was previously finally prepared or where it is proposed to make any amendments or alterations in the finally prepared Regional Plan, such fresh Plan or, as the case may be, amendments or alterations in the finally prepared Regional Plan, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Regional Plan referred to in section 14 and 15 or as they were the amendments or alterations in the Regional Plan made under section 16 .

CHAPTER-V

FUNCTIONAL PLANS, PROJECT PLANS,DEVELOPMENT SCHEME AND MASTER PLANS

Preparation of Functional Plan

18. After the Regional Plan has come into operation, the Authority may prepare as many Functional Plans as may be necessary for the proper guidance of the other authorities and local bodies concerned with their consultation.

Preparation and execution of the Project Plans

19. The Authority, by themselves or in collaboration with one or more of the participating authorities and local bodies concerned, as the case may be, prepare Project Plans for one or more elements of the Regional Plan and execution of such project plan shall be undertaken by the Authority itself or shall be assigned to any suitable agency, local body, development authority or a Government department by the Authority for execution.

Preparation of Development Scheme Plans

20. The Authority, by themselves or in collaboration with one or more of the participating authorities and local bodies concerned, as the case may be, formulate development scheme for one or more elements of the Regional Plan or functional plan and the Authority may either execute the scheme itself or assign execution to any suitable agency, local body, development authority or a Government department.

Preparation of Master Plan

21. Each development authority, local authority or local body concerned, as the case may be, shall be responsible for preparing and implementing their Master Plan in conformity with the Regional Plan.

CHAPTER -VI

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Funds of the Authority

22. (1) Every Regional Development Authority shall have and maintain its own fund to which shall be credited ,-

(a) all moneys received by the Regional Development Authority from the Government by way of grants, loans, advances or otherwise;

(b) all moneys borrowed by the Regional Development Authority from sources other than the Government by way of loans or debentures;

(c) all fees, tolls and charges received by the Regional Development Authority under this Act;

(d) all moneys received by the Regional Development Authority from the disposal of lands, buildings and other properties, movable and immovable; and

(e) all moneys received by the Regional Development Authority by way of rents and profits or in any other manner or from any other source.

(2) The fund shall be applied towards meeting the expenses incurred by the Regional Development Authority in the administration of this Ordinance and for no other purpose.

(3) Subject to any directions of the Government, the Regional Development Authority may keep in current account of any Scheduled Bank such sum of money out of its fund as it may think necessary for meeting its expected current requirements and invest any surplus money in such manner as it thinks fit.

(4) The Government may, after due appropriation made by Legislature by law in that behalf, make such grants, advances and loans to the Regional Development Authority as the Government may deem necessary for the performance of the functions of the Regional Development Authority under this Ordinance and all grants, loans and advances made shall be on such terms and conditions as the Government may determine.

(5) The Regional Development Authority may borrow money by way of loans or debentures from such sources (other than the State Government) and on such terms and conditions as may be approved by the Government.

(6) The Regional Development Authority shall maintain a sinking fund for the repayment of moneys borrowed under sub-section (5) and shall pay every year into the sinking fund such sum as may be sufficient for repayment within the period fixed of all moneys so borrowed.

(7) The sinking fund or any part thereof shall be applied in, or towards, the discharge of the loan for which such fund was created, and until such loan is wholly discharged it shall not be applied for any other purpose.

Budget

23. The Regional Development Authority shall prepare in such form and at such time every year , as the Government may prescribe, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts, and expenditure of the Regional Development Authority.

Accounts and Audit

24. (1) Every Regional Development Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the Government may prescribe.

(2) The accounts of every Regional Development Authority shall be subject to audit annually by the Examiner, Local Fund Accounts :

Provided that in place of or in addition to the Examiner, Local Fund Accounts, the Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under sub-section (2) shall,-

(a) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(b) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or as the case may be, the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government accounts, and

(c) in the case of any other auditor, be as prescribed; and, in particular, he shall have the right to demand production of books, accounts, connected vouchers, papers and other documents and to inspect the office of the Regional Development Authority.

(4) The accounts of the Regional Development Authority, as certified by the Auditor or any person appointed by him in that behalf, together with audit report thereon shall be forwarded to the Government annually or at such times as may be directed by it. The Government may issue such directions to the Regional Development Authority as it may deem fit and the Regional Development Authority shall be bound to comply with such directions.

(5) Any expenditure, incurred by the Auditor in connection with the audit shall be payable by the Regional Development Authority to the auditor.

Annual Report

25. The Regional Development Authority shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the Government in such form and on or before such date as the Government may prescribe and such report shall be laid before both the Houses of the State Legislature.

Pension and Provident Funds

26. (1) The Regional Development Authority may constitute for the benefit of its whole-time paid members and of its officers and other employees in such manner and subject to such conditions, as the Government may specify, such pension or provident funds as it may deem fit.

(2) Where any such person or provident fund has been constituted, the Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Act no. 19 of 1925) shall apply to such fund as if it were Government Provident Fund.

Power of Authority to finance projects and schemes and impose conditions thereof

27. The Authority shall be competent to give grants, advances or loans to, or to share expenses with, any local authority or other authority in the State Capital region, for any of the purposes of section 12, and notwithstanding anything contained in any law of the State for the time being in force, but subject to the restrictions, if any, contained therein, it shall be lawful for such other authority to accept such grants, advances or loans or share in the expenses, subject to such terms and conditions as the Authority may, from time to time, in consultation with such other authority, specify.

State Guarantee to loans taken or given by Authority

28. The Government may guarantee repayment of the principal of, and interest on, any loan raised or given by the Authority or transferred to it for the purposes of this Ordinance, subject to such conditions as the Government may think fit to impose.

CHAPTER-VII

LAND AND PROPERTY RELATED PROVISIONS

Acquisition of Property by the Authority

29. The Authority may acquire any movable or immovable property by purchase, exchange, gift, lease, mortgage, negotiated settlement, or by any other means permissible under any law.

30. Any land required, reserved or designated in any plan shall be deemed to be the land needed for public purpose within the meaning of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) ; and may be acquired by the Government on the request by the Authority. Power to acquire Land

31. The Authority shall create and maintain a Region Land Development Bank in which all lands acquired, allotted, purchased or obtained through any mode shall be maintained, protected and used for the furtherance of the objectives of the Ordinance . Creation and Management of Land Development Bank

32. The Government by specific orders and on such terms and conditions as may be agreed upon between the Government and the Authority, place at the disposal of the Authority any developed and undeveloped Government lands situated within the region for the purposes of this Ordinance. Transfer of Government land to the Authority

33. (1) The Authority shall use land available at its disposal only for purposes of execution of project plan or development scheme. However, subject to any directions given by the Government in this behalf and subject to terms and conditions of grant or acquisition of such land, the Authority may dispose of any land at its disposal, without undertaking or carrying out any development thereon or after undertaking or carrying out such development as it thinks fit to such persons, in such manner and subject to such terms and conditions as it considers expedient for fulfilling the purposes of this Ordinance. Disposal of Land and other property by the Authority

(2) Nothing in this Ordinance shall be construed as enabling the Authority to dispose of land by way of gift, but subject thereto, references in this Ordinance to the disposal of land shall be construed as references to the disposal thereof in any manner, whether by way of sale, exchange or lease or by the creation of any easement, right or privilege or otherwise.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

34. The provisions of this Ordinance shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law of the State of Uttar Pradesh for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law of the State of Uttar Pradesh other than this Ordinance ; or in any decree or order of any Court, Tribunal or other Authority. Ordinance to have overriding effect

35. The Government may, from time to time, give such directions to the Authority as it thinks fit for the efficient administration of this Ordinance and when any such direction is given, the Authority shall carry out such directions. Power of the Government to give directions

36. (1) On and from the coming into operation of the finally publishable Regional Plan, no Development Plans shall be made in the region which is inconsistent with the Regional Plan as finally published. Violation of Regional Plan

(2) Where the Authority is satisfied that any local authority, Government Departments and persons have carried out, or are carrying out, any activity which amounts to a violation of the Regional Plan, it may, by a notice in writing, direct the concerned participating local Authority and Government departments and persons , as the case may be, to stop such violation of the Regional Plan within such time as may be specified in the said notice and in case of any omission or refusal on the part of the concerned local authorities, Government departments and persons to stop such activity, withhold such financial assistance to the concerned local authorities as the Authority may consider necessary and take any other action as per rules framed in this regard.

Power of delegation

37. The Authority may, by resolution, delegate, from time to time, any power (except the power to make regulations) exercisable by it or any function to be discharged or any duty to be performed by it, by or any this Ordinance to the Executive Committee subject to such terms and conditions as may be specified in such resolution.

Power of entry

38. Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorized by the Authority in this behalf, may at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigations, preliminary or incidental to the exercise of any power or performances of any function by the Authority under this Ordinance :

Provided that no such persons shall enter any building or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling-house without previously giving the occupier thereof at least three days' notice In writing of his intention to do so.

Member Secretary, officers and other employee to be public servants

39. The Member-Secretary, Officers and other employees of the Authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Ordinance, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

Protection of action taken in good faith

40. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or any officer or any other employee of the Authority including any other person authorized by the Authority to exercise any power or to discharge any function under this Act, or for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance .

Power to make rules

41. (1) The Government may, by notification in the Official *Gazette*, make rules to carry out the provisions of this Ordinance .

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the composition and number of the members of the Authority and of the Committee, as required by sub-section (3) of section 3 and sub-section (2) of section 4, respectively, to be prescribed ;

(b) the terms and conditions of the office of the members as required by sub-section (4) of section 3, to be prescribed;

(c) the form and manner in which notice under sub-section (1) of section 13 and sub-section (2) of section 14 shall be published;

(d) the manner In which notice under sub-section (1) of section 13 shall be published;

(e) the form in which and the time at which the Authority shall prepare its budget under section 22 and its annual report under section 24 and the manner in which the accounts of the Authority shall be maintained and audited under section 23;

(f) the conditions and restrictions with respect to the exercise of powers to enter under section 28 and others matters relating thereto;

(g) the form and manner in which notice under sub-section (2) of section 36 is to be issued for taking action under it;

(h) any other matter which is to be, or, may be prescribed or in respect of which provision is to be, or may be, made by rules.

Power to make regulations

42. (1) The Authority may, with the previous approval of the Government, by notification in the Official *Gazette*, make regulations not inconsistent with this Ordinance and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Ordinance .

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner in which and the purposes for which the Authority may associate with itself any person under section 10;

(b) the terms and conditions of service of the Officers and Employees of the Authority under sub-section (3) of section 10; and

(c) any other matter in respect of which provisions is to be, or may be, made by regulation.

Dissolution of the Authority

43. (1) Where the State Government is satisfied that the purposes for which the Authority was established under this Ordinance , have been substantially achieved or the Authority has failed in its objectives, so as to render the continued existence of the Authority unnecessary, it may by notification in the Official *Gazette*, declare that the Authority shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification and the Authority shall be deemed to be dissolved accordingly.

(2) From the said date,-

(a) all properties, funds and dues which are vested in or realizable by the Authority shall vest in, or be realizable by, the Government ;

(b) all liabilities which are enforceable against the Authority shall be enforceable against the Government ;

(c) for the purpose of carrying out any development which has been carried out by the Authority and for the purpose of realizing properties, funds and dues referred to in clause (a) the functions of the Authority shall be discharged by the Government.

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing the Government from reconstituting the Authority in accordance with the provisions of this Ordinance.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
VANDANA SINGH,
Vishesh Sachiv evam
Apar Vidhi Paramashi.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1153 राजपत्र–2024–(3181)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 179 सा0 विधायी–2024–(3182)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
1153 RPH (Rajya Rajdhani) 2024 data 4e